1951[1] ई० का उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (Extension of Application) का अधिनियम

[उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 14, 1951 ई०]

[उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 23 फरवरी सन् 1951 ई0 तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद् ने दिनांक 28 फरवरी सन् 1951 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 31 मार्च, सन् 1951 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी गजट में दिनांक 4 अप्रैल सन् 1951 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

देहरादून जिले के जौनसार–बावर परगना और मिर्जापुर जिले के उस भाग में जो कैमूर पर्वत–श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, कुछ विधियों का प्रसार करने के लिये

अधिनियम

क्योंकि देहरादून के जौनसार–बावर परगने और मिर्जापुर जिले के उस भाग में जो कैमूर पर्वत–श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, संविधान के प्रारम्भ से पहले, अंशतः पृथक् किये गये क्षेत्र (Partially Excluded Areas) के रूप में प्रशासन होता था ;

और क्योंकि संविधान के अनुसार उक्त क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled areas) नहीं है ;

और क्योंकि यह आवश्यक है कि उक्त क्षेत्रों में ऐसी कुछ विधियों को प्रचलित किया जाय जो उत्तर प्रदेश में प्रचलित हैं, किन्तु उक्त क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं होती ;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

1–(1) इस अधिनियम का नाम "1951 ई0 का उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (Extension of Application) का अधिनियम" होगा ।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

2–इस अधिनियम में विषय या प्रकरण के विपरीत न होने पर,–

(क) "निश्चित दिनांक" (appointed date) का तात्पर्य उस दिनांक से है, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले का हो ;

(ख) "विधि" का तात्पर्य धारा 4 और 5 में ऐसी आज्ञा, नियम या उपविधि (by-law) से है जो ऐसे विधायन (enactment) के अधीन दी या बनाये गये हों जो निश्चित दिनांक पर अंशतः पृथक् किये गये

---

[1]. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 20 फरवरी, 1951 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

क्षेत्रों में प्रचलित नहीं था ;

(ग) "अंशतः पृथक् किये गये क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो देहरादून जिले के जौनसार–बावर परगना के और मिर्जापुर जिले के उस भाग के रूप में प्रसिद्ध है, जो कैमूर पर्वत–श्रेणी के दक्षिण में है और इसके अन्तर्गत प्रसंग के अनुसार उक्त क्षेत्र में से कोई या उनका भाग भी है;

(घ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

3–(1) किसी विधि में किसी विपरीत बात के रहते हुये भी, ऐसे सब विधायन जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर उत्तर प्रदेश में प्रचलित या प्रवृत्ति (in force in or applicable to) हों और जिनका सम्बन्ध ऐसे विषयों से हो जिनके बारे में राज्य विधान मण्डल, उत्तर प्रदेश के लिये विधियों का निर्माण कर सके और जो अंशतः पृथक् किये गये क्षेत्रों में अभी प्रचलित या प्रवृत्त न हों, उक्त क्षेत्रों में निम्नलिखित के अधीन एतव्द्वारा प्रसारित (extend) किये जाते हैं :–

(क) कोई ऐसा संशोधन जिसके अधीन सामान्य रूप से उपर्युक्त दिनांक पर उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में प्रचलित होंने के सम्बन्ध में, उपर्युक्त विधायन रहे हों; और

(ख) इस अधिनियम के निदेश जो आगे दिये हुये हैं ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विधायन में किसी बात के रहते हुये भी, ऐसे विधायन ऐसे दिनांक से प्रचलित हो जायेंगे जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित करे और उक्त विधायनों के विभिन्न निदेशों के लिये और विभिन्न क्षेत्रों के लिये, विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

4–यदि निश्चित दिनांक पर अंशतः पृथक् किये गये क्षेत्रों में कोई ऐसी विधि प्रचलित है, जो धारा 3 की उपधारा (2) में उल्लिखित विधायन (enactment) के समान (corresponding to) है तो ऐसी समान विधि उस दिनांक से और उस अंश तक जहां तक धारा 3 के निदेशों के अधीन और अनुसार कोई विधायन प्रचलित होता हो, यथाक्रम अंशतः पृथक् किये गये क्षेत्रों में निवर्तित (repealed) हो जायेगी ।

5–(1) धारा 4 के अधीन किसी समान विधि के निवर्तन का निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं होगा :–

(क) किसी ऐसी विधि का पूर्व व्यापार (previous operation) ; या

(ख) कोई ऐसी शास्ति, अपवर्तन या दण्ड (penalty, forfeiture or punishment) जो किसी ऐसी विधि के विरूद्ध किये गये अपराध के विषय में उपगत किया गया या किये गये हों (incurred) ; या

(ग) उक्त शास्ति, अपवर्तन या दंड के सम्बन्ध में कोई जांच, विधि के व्यवहार या उपचार (investigation, legal proceeding or remedy) ; और उक्त जांच विधिक व्यवहार या उपचार उसी प्रकार निवेशित या अनुक्रान्त की या किया जा सकता है, अथवा व्यवहार में लाया जा सकता है (instituted, continued or enforced) और कोई भी ऐसी शास्ति, अपवर्तन या दण्ड उसी प्रकार लगाया जा सकता है मानो वह अधिनियम पारित ही नही किया गया हो ।

(2) किसी ऐसी बात या कार्य के विषय में जो उक्त समान विधि के अधीन किया गया हो, और जिसके अन्तर्गत की गयी नियुक्ति या किये गये समर्पण (delegation),

प्रकाशित विज्ञप्ति, दी गई आज्ञा या दिये गये आदेश, बनायी गई योजना, स्वीकृत प्रमाण–पत्र, एकस्वपत्र (patent) या अनुज्ञापत्र, किये गये निबन्धन (registration) है, उस अंश तक जहां तक वे धारा 3 में लिखित उन विधायनों के विपरीत न हों जो अब अंशतः पृथक् किये गये क्षेत्रों में प्रसारित या प्रचलित किये

जाते हों, उपधारा (1) के निर्देशों को बाधित न करते हुए –

(क) यह समझा जायगा कि वह उक्त विधायन के समान निदेश के अधीन की गयी या किया गया था; और

(ख) वे तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक कि उनके सम्बन्ध में कोई भिन्न आदेश न दिया जाय या जब तक कि वे किसी ऐसी बात या कार्य से अतिक्रान्त (superseded) न कर दिये जायें, जो उक्त विधायन के अधीन राज्य सरकार या किसी समर्थ प्राधिकारी (authority) द्वारा किया गया हो ।

————————